



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169568-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 7555/2026

अखिलेश कुमार एवं एक अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता	: आदित्य ओझा, बृजेश तिवारी
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता	: बैकुण्ठ नाथ सिंह, शासकीय अधिवक्ता, मनीष कुमार सिंह

न्यायालय संख्या- 48

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्रधारी सिंह

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1- बहस के दौरान विद्वान ए.जी.ए. द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन शपथपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।

2- वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित मुख्य प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है:-

"I)- उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.02.2026 (अनुलग्नक संख्या 1) को निरस्त किया जाए, जो मुकदमा अपराध संख्या 24 सन् 2026 के रूप में धारा 420, 504, 506 भा.दं.सं., थाना जाजमऊ, जनपद कानपुर नगर में पंजीकृत है।

II)- परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विपक्षी संख्या 1, 2 एवं 3 को निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 09.02.2026 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (अनुलग्नक संख्या 1), जो अपराध संख्या 24 सन् 2026 के रूप में धारा 420, 504,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



506 भा.दं.सं., थाना जाजमऊ, जनपद कानपुर नगर में पंजीकृत है, के अनुसरण में याचियों को गिरफ्तार न करें।"

3- सुनवाई के दौरान विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि विवेचना अभिकरण ने विवेचना के दौरान पर्याप्त सामग्री एकत्र की और तत्पश्चात भा.दं.सं. की धारा 467, 468 एवं 471 जोड़ी गई। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि पूर्व अवसर पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 22.04.2026 के आदेश द्वारा शीर्ष न्यायालय द्वारा **अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273** में प्रतिपादित विधि के आलोक में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अपराधों अर्थात् धारा 420, 504, 506 भा.दं.सं. के संबंध में निर्देश जारी किए थे, जिनके लिए सजा सात वर्ष से कम है। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि तत्पश्चात भा.दं.सं. की जोड़ी गई धाराओं 467, 468 एवं 471 में याची संख्या 1 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के पश्चात याची संख्या 1 ने अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 8, कानपुर नगर के समक्ष जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे दिनांक 22.07.2026 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

4- प्रत्युत्तर में, याचियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याची संख्या 1 ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26861 सन् 2026 (अखिलेश कुमार बनाम उ.प्र. राज्य) दाखिल किया है और उक्त आवेदन उपयुक्त पीठ के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

5- याचियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याची निर्दोष हैं और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के सामान्य पठन से याचियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं बनता है और अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।

6- राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. ने रिट याचिका का विरोध किया और अपने तर्कों के समर्थन में अनुपालन शपथपत्र के पैरा संख्या 6, 7, 8, 9 एवं 10 तथा अनुपालन शपथपत्र के साथ संलग्न अन्य सामग्री पर भरोसा किया। विद्वान ए.जी.ए. ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से याचियों के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रथमदृष्टया सिद्ध होता है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्तर्गत रिट क्षेत्राधिकार में प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त नहीं की जा सकती। गुण-दोष से रहित रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

7- हमने याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश तिवारी, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-। श्री एस.के. ओझा को सुना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिट याचिका में किए गए कथनों और सुनवाई के दौरान विद्वान ए.जी.ए. द्वारा दाखिल अनुपालन शपथपत्र का परिशीलन किया।

8. हमने एफआईआर के सामग्री का अवलोकन किया, जो निम्नवत् है-

"नकल तहरीर.... सेवा में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त पूर्वी महोदय कानपुर नगर । महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित पुत्र स्व० श्री धर दीक्षित निवासी मकान नं०-174-ए मानस विहार, थाना जाजमऊ कानपुर नगर मो०नं० 9935713588 प्रार्थी साईकिल का पंचर बनाकर अपना जीवन यापन करता है। प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित की दुकान पर पूर्व से परिचित अखिलेश कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी-499-सी-ए ताडबगिया तिवारीपुर, साहू परचून, वाली गली के पास थाना जाजमऊ मो०नं०-9935319748 मोटर साईकिल का पंचर बनवाने 2015 में आया था और बताया कि आसरा योजना कालोनी व कांशीराम कालोनी सनिगवां के पास सरकार की योजना आई है आपको लोगों को यदि चाहिये तो मैं कालोनी दिला सकता हूँ। इस तरह प्रार्थी को कालोनी दिलाने का पूर्ण विश्वास देकर व अपने को पूर्व परिचित व पड़ोसी बताकर फर्जी षडयंत्र रचकर प्रार्थी से चेक सं०-758152 दिनांक 06/05/2015 रूपया 70,000/- तथा चेक सं०-758153 दिनांक-29/05/2015 रूपया 30,000/- भारतीय स्टेट बैंक हरजेन्दर नगर, लालबंगला प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित के खाता सं०-10318067869 से व चेक सं०-000007 दिनांक 30/05/2015 रूपया 40,000/-चेक सं०-000009 दिनांक 27/07/2015 रूपया 30,000/- व चेक सं०-000010 दिनांक 28/07/2015 रूपया 30,000/- प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित के खाता सं०-697610110000083 बैंक आफ इण्डिया डिफेन्स कालोनी जाजमऊ, मे चेक लगाकर अपने खाते में कैश करा लिया। प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित से कुल 02 लाख रूपया ले लिया तथा मेरे अतिरिक्त मेरे पड़ोसी संजय पाण्डेय पुत्र स्व० बीसी पाण्डेय एवं अन्य लोगों से भी प्लाट/कालोनी दिलाने के नाम पर 1-1 लाख रूपया ले लिया गया और बाद में आजकल आजकल कालोनी का फार्म भरवाने के लिये कहता रहा। फिर वाद में मुझ प्रार्थी को यह विश्वास हुआ कि अखिलेश व उसके पुत्र राजकुमार द्वारा मेरे साथ धोखा धड़ी की गयी है। लगभग 4 वर्ष के बाद सन 2020

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में संदेह होने पर प्रार्थी ने अपना पैसा वापस करने की मांग करने लगे तो आज कल में वापस करने को कहकर टहला देता। जब प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित ने कहा कि पैसा वापस करो नहीं तो रिपोर्ट करेंगे तो अखिलेश कुमार गाली देते हुये जान से मारने के लिये धमकाने लगा और अपना मोबाइल नम्बर बन्द कर दिया। यदा कदा घण्टी जाने पर अखिलेश कुमार अशब्द कहता था। जब पैसे वापस करने हेतु ज्यादा दबाव बनाया गया तो अखिलेश व उसके पुत्र राजकुमार द्वारा एक लिखित समझौता स्टाम्प पेपर पर दिनांक 24-05.2023 में लिखकर दिया गया कि हर माह की 10तारीख से 25 तारीख के बीच में आपको पैसा 10-10 हजार करके वापस कर दूंगा इसके वावजूद भी इसके द्वारा अपनी बात का पालन नहीं किया गया और फिर धमकी देना चालू कर दिया। प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित पंचर बनाकर दुकान चलाकर अपना परिवार चलाता है व काफी परेशान है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर प्रार्थी बसन्त कुमार का पैसा वापस दिलाने एवं प्रार्थी के साथ की गयी धोखाधड़ी के सम्बन्ध में उक्त लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी अपने एकाउण्ट की पासबुक व पैसा निकालने की दिनांक सहित छायाप्रति संलग्न कर रहा है। श्रीमान जी की महान दया होगी। प्रार्थी बसन्त कुमार दीक्षित पुत्र स्व० श्रीधर दीक्षित निवासी 174ए मानस विहार जेके कालोनी थाना जाजमऊ कानपुर नगर । मो0-99357135881 नोट - प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की नकल व कायमी मुझ हे0का0 405 धर्मवीर सिंह द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द-शब्द बोल कर का0 5286 सूरज कुमार से टाईप करवाकर ऑनलाइन किता करायी गयी।"

9- हमने अनुपालन शपथपत्र के पैरा 4 एवं 5 की विषय-वस्तु का भी परिशीलन किया है, जिन्हें नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"4- यह विनम्रतापूर्वक सूचित किया जाता है कि सूचनाकर्ता श्री बसन्त कुमार दीक्षित की लिखित शिकायत के आधार पर अखिलेश कुमार एवं राजकुमार के विरुद्ध धारा 420, 504, 506 भा.दं.सं. के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 24/2026 में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी और उक्त प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक श्री शशांक वर्मा, थाना जाजमऊ, कानपुर नगर द्वारा की गई, जिन्होंने सी.डी. संख्या 01 से सी.डी. संख्या 05 तैयार की हैं। उपनिरीक्षक शशांक वर्मा के दीर्घ अर्जित अवकाश पर चले जाने के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण, थाना प्रभारी, जाजमऊ के आदेशानुसार दिनांक 16.04.2026 को विवेचना उपनिरीक्षक श्री प्रदीप पाण्डेय को आवंटित की गई। वर्तमान में वही विवेचना कर रहे हैं।

5- यह कि उपर्युक्त प्रकरण की विवेचना में सूचनाकर्ता, उसके परिवार के सदस्यों तथा अन्य स्वतंत्र/संबंधित साक्षियों के कथन दर्ज किए गए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सूचनाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खाते के विवरणों का परीक्षण किया गया है। अभियुक्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए कथित कूटरचित दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है तथा उनकी प्रामाणिकता के संबंध में लखनऊ स्थित संबंधित सूडा कार्यालय से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की गई है और उसका परिशीलन किया गया है।"

10- माननीय उच्चतम न्यायालय ने सोमजीत मल्लिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 2024 आईएनएससी 772 के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"18- यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी आरोपों का विश्वकोश नहीं होती है। अतः यह परीक्षण करने के लिए कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, आरोपों में किसी चूक को नहीं, बल्कि उसमें निहित आरोपों के सार को देखा जाना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रथमदृष्टया कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं। इस स्तर पर न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन-सा विशिष्ट अपराध किया गया है। विवेचना के पश्चात, आरोप निर्धारित किए जाने के समय, जब विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री न्यायालय के समक्ष होती है, तभी न्यायालय को यह राय बनानी होती है कि अभियुक्त को किस अपराध के लिए जाने के लिए विचारण का सामना करना चाहिए। उससे पूर्व, यदि संतुष्ट हो, तो न्यायालय अभियुक्त को आरोपमुक्त भी कर सकता है। अतः जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त के ऐसे बेईमान आचरण का आरोप लगाती है, जो यदि सामग्री से समर्थित हो, तो संज्ञेय अपराध किए जाने को प्रकट करेगा, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करके विवेचना को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।"

11- याचियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपर्युक्त आधार स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण एवं गलत धारणा पर आधारित हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुस्कान बनाम ईशान खान (सताणिया) एवं अन्य, 2025 आईएनएससी 1287 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने के लिए लघु विचारण करें।

12- सुविधा के लिए, **मुस्कान (उपर्युक्त)** के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे पुनरुत्पादित की जाती हैं:-

"हमारा मत है कि उच्च न्यायालय ने शिकायतों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता अथवा अन्यथा के संबंध में जांच करके विधि की दृष्टि से त्रुटि की है। सामान्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि अभियुक्तों के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्टया प्रकरण विद्यमान नहीं है। वर्तमान प्रकरण में शिकायतों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के संयुक्त पठन से यह देखा जा सकता है कि उत्पीड़न एवं दहेज की मांग के प्रथमदृष्टया आरोप लगाए गए हैं, इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने मुख्यतः इस आधार पर निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा पहले दाखिल की गई दो शिकायतों में दिनांक 22.07.2021 एवं 27.11.2022 को हुई विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं था और बाद में उनका उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में केवल बाद की सोच के रूप में किया गया तथा यह प्रतिवादी संख्या 1/पति द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए विधिक नोटिस का प्रतिकार था, क्योंकि वह अपने वैवाहिक घर वापस नहीं आ रही थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण, हमारी सुविचारित राय में, एक लघु विचारण किए जाने के समान है।"

13- प्रथम सूचना रिपोर्ट के सामान्य पठन तथा पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय प्रथमदृष्टया इस मत का है कि उसमें प्रकट आरोप संज्ञेय अपराधों का गठन करते हैं, जिनमें विवेचना अपेक्षित है। इस स्तर पर यह न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोपों की सत्यता अथवा अन्यथा के संबंध में जांच नहीं कर सकता और न ही याचियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बचाव का मूल्यांकन कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एससीसी 335** के प्रकरण में यह विधि सुस्थापित की गई है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत असाधारण क्षेत्राधिकार अथवा आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग विरलता से एवं सावधानीपूर्वक तथा केवल अत्यंत विरलतम प्रकरणों में किया जाना चाहिए, जहां आरोपों को उनके प्रथमदृष्टया स्वरूप में स्वीकार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किए जाने पर भी किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट नहीं होता है अथवा जहां प्रकरण उसमें उल्लिखित अपवादात्मक श्रेणियों में से किसी के अन्तर्गत आता है।

14- आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित आरोपों, पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने से संबंधित मामलों में रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले विधि के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए तथा **सोमजीत मल्लिक (उपर्युक्त)**, **मुस्कान (उपर्युक्त)** एवं **भजन लाल (उपर्युक्त)** के प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराधों का किया जाना प्रकट करती है। इस न्यायालय को ऐसा कोई अपवादात्मक परिस्थिति नहीं मिलती है, जो आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने अथवा प्रार्थना के अनुसार परमादेश की प्रकृति में निर्देश जारी करने के लिए अपनी असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना आवश्यक बनाए।

15- परिणामस्वरूप, रिट याचिका गुण-दोष से रहित होने के कारण एतद्वारा **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति चन्द्र धारी सिंह)

12 अगस्त, 2026

प्रजापति आर.के.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।